तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3222/2004/टोंक कल्याण पुत्र हरनाथ बनाम बन्ना पुत्र हरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक प्रार्थी

श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 21–7–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 18 नियम 18 सीपीसी खारिज किया है ।

3– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया । उक्त वाद के लम्बित रहते अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13–7–2004 से खारिज किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

4– प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि आदेश 18 नियम 18 सीपीसी में यह स्पष्ट है कि न्यायालय वाद के किसी भी स्तर पर विवादग्रस्त आराजी का निरीक्षण कर सकता है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय में यह अंकित करना कि प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र के निर्णय से पूर्व पेश किया जाना चाहिए था, पूर्णतया आदेश 18 नियम 18 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । दोनों पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी को लेकर परस्पर विरोधाभास होने से विवादग्रस्त आराजी के मौका निरीक्षण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारों की शहादत के अनुरूप निर्णय को पूर्ण से समुचित निर्णय पारित करने में सहायक होती है । अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3222/2004/टोंक कल्याण पुत्र हरनाथ बनाम बन्ना पुत्र हरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 18 सीपीसी को सही रूप से खारिज किया गया है । निगरानी केवल प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी खारिज की जावे । 6— उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अप्रार्थी के विरूद्ध एक दावा बाबत इस्तकरार हक, तकासमा एवं हुकुम इम्तनाई दवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई एवं आराजी का तकासमा करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाकर उक्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल करने की प्रार्थना की गई जिसका जबावदावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था एवं तनकियात भी कायम हो चुकी थी । तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद के निर्णय से पूर्व मौका मुआयना कराने हेतु मौके स्थिति बाबत प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी के मौका मुआयना कराने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण का कोई कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय किया है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–7–2004 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विधिसम्मत तरीके से खारिज किया है क्योकि किसी एक पक्षकार को जरिए प्रार्थना–पत्र अपने पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । इस संबंध में आर.आर.टी. 2011(2) पृष्ठ 1304 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि– Code of Civil Procedure, 1908-18,Rule 18, Order 26, Rule 9 and 10 A and Sec 107 and 151- Application filed pending first appeal dismissed-Commissioner sought to appoint to prove cultivator possession and residence-Commissioner cannot be appointed for collecting of the evidence-Held, Revision is liable to be dismissed. न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोनों पक्षकारों को सुनकर के निर्णय किया जाना चाहिए । इसी मंशा को ध्यान में रखकर अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3222/2004/टोंक कल्याण पुत्र हरनाथ बनाम बन्ना पुत्र हरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया गया है जो विधिसम्मत है । निगरानी का क्षेत्र सीमित होता है यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 230 मूलतः इस प्रकार है– **230- Power of the Board to call for cases**- The Board may call for the record of any cases decided by any subordinate revenue court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears- (a) to have exercised jurisdictions not vested in it by law:or (b) to have failed to exercise jurisdictions so vested :or (c) to have acted in the exercise of its jurisdictions illegally or with material irregularity. Board may pass such orders in the cases as it thinks fit. उक्त धारा में यह प्रावधित किया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अधिकारिता संबंधी या प्रक्रिया संबंधी गलती की जाती है तो पुनरीक्षण किया जा सकता है। जब उपलब्ध सभी उपचार समाप्त हो जावे, तभी पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें केवल यही देखना होता है कि अधीन न्यायालय ने न्यायिक अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है या प्रक्रिया के पालन में गलतियॉ की है। उक्त प्रावधानों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया जिसमें हमें कोई तथ्यात्मक या क्षेत्राधिकारिता संबंधी कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है । 8– उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3222/2004/टोंक कल्याण पुत्र हरनाथ बनाम बन्ना पुत्र हरनाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए